परिवादी द्वारा श्री ए०कं०श्रीवास्तव अधिवक्ता। आरोपी की जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामील प्राप्ता तामीलकर्ता प्रहलाप श्रामा प्रजार न्यायालय के निर्देशानुसार फरारी साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित। प्रकरण वर्ष 2013 न न्यायालय में लंबित है। आरोपी को मेजे गए वारंट की तामीली सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। इस संबंध में तामीलकर्ता फरारी साक्ष्य हेतु उपस्थित है। उसके करारी साक्ष्य कथन लेखह द्व किए गए उसके द्वारा, बताया गया कि आरोपी अपने पते पर नहीं मिला और कहीं चला गया है जिसका कि अब कहीं पता नहीं चल रहा है और भविष्य में उसके मिलने की संभावना नहीं है। इस संबंध में पंचनामा भी तामीलकर्ता अधिकारी की साध्य प्रकरण के तथ्यों सालान किया गया है। परिस्थितियों में आरोपी ले मिलने की कोई संगावना नहीं है और यह दर्शित होता है कि वह या तो कहीं फरार हो गया है या प्रकरण में उपस्थित होने से बच रहा है। ऐसी दशा में आसेपी विरूद स्थाई गिरफारी बारंट जारी किये जाने का आदेश प्रकरण को मुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया जाये 9—फार्स-4-1-16—1,00,000 प्रपत्र.